इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के 54 अनुभागों को भी अपना पूरा काम हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है ।

बैंकिंग प्रभाग	1. प्रशासन–I	फरवरी, 1987
	2. प्रशासन-II	अक्टूबर, 1985
	3. रोकड	बिल और वेतन चिट्ठे हिन्दी में तैयार किए जाते हैं ।

"क" क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय कार्यालय निम्नानुसार अपना संपूर्ण कार्य हिन्दी में कर रहे हैं :—

1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	—कार्यालय प्रबन्धक विभाग
2. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	— शिकायत कक्ष
3. पंजाब नेशनल बैंक	— (1) निरीक्षण तथा नियंत्रण प्रभाग के स्थापना तथा शिकायत कक्ष
	(2) ऋण-प्रशासन प्रभाग के संस्थापन अनुभाग
	(3) केन्द्रीय कार्यालय के संस्थापन अनुभाग ।
4. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	(1) कार्यालय प्रबन्ध विभाग
	(2) ग्राहक सेवा और शिकायत विभाग
	(3) प्रबन्धक, जनसंपर्क विभाग
	(4) लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग
5. न्यू बैंक आफ इंडिया	वेतन वृद्धि कक्ष
6. पंजाब एंड सिंध बैंक	संस्थापन प्रभाग ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

296. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बन्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों की पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन

मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) वर्ष 1987 में अब तक हिन्दी सलाहकार समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति विभाग में सरकारी कामकाज में राजभाषा सम्बन्धी नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण करती है और यह एक सरकारी स्तर की समिति है और अब तक हिन्दी सलाहकार समिति के किसी गैर-सरकारी सदस्य को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून में सात प्रशासनिक अनुभागों (हिन्दी अनुभाग को छोड़कर) को 5 जनवरी, 1987 को उन को दिए गए 20 विषयों पर हिन्दी में कार्यवाई करने और 60 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली का लेखा अनुभाग 1 अक्तूबर 1987 से हिन्दी में कार्य कर रहा है।

राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने के निदेश जारी किए गए हैं। शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में नहीं किया जा रहा है क्योंकि विभिन्न, अनुभागों को मुख्यत: देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक/तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों और व्यक्तियों (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है।

(ग) मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित किया गया है।

Persons killed/injured in Delhi in Terrorist activities

297. SHRI LAL K. ADVANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of persons killed and injured in Delhi during each of the last three years and so far during the current year as a result of terrorist activity;

(b) what are the details of the cases in which the Delhi Police has been able to get the culprits punished from a Court of Law;

(c) whether it is a fact that the concentration of security arrangements in VIP areas leaves very little scope for security arrangements in other areas;

(d) if not, what are the reasons for which the majority of the persons killed by terrorists are common people and what extra arrangements are being made to safeguard their lives; and

(e) whether a security belt in the sensitive areas will be created to stop the inflow of foreign arms and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The requisite figures are indicated below:—

	Killed	Injured
1984	1	4
1985	57	53
1986	—	6
1987 (upto date)	27	26